भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2564
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति

2564. श्री रवि किशनः
श्री पी॰पी॰ चौधरीः
श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हेतु आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या नई नीति बनाई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को 'पूर्ण स्वतंत्रता' देने की नीति बनाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या इरादा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जी, हां।

(ख) से (ङ): सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को 'खुली छूट' दी गई है। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की स्थापना की गई है। केंद्र और राज्य स्तर पर आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच गहन और प्रभावकारी समन्वय तंत्र विद्यमान है। मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को संबंधित केंद्रीय/राज्यीय एजेंसियों के साथ आसूचना का वास्तविक समय पर मिलान और साझा करने के लिए 24x7 आधार पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है। राज्यों ने आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष बल गठित किये है तथा ऐसी घटनाओं से निपटने में राज्यों की सहायता करने के लिए विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की तैनाती भी की गई है। केंद्रीय एजेंसियां आसूचना को साझा करने और आतंकवादी मामलों की जांच करने हेतु राज्य बलों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं।

देश के भीतरी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी विद्रोही/उग्रवादी घटनाएं कम हो गई हैं। जम्मू एवं कश्मीर में, सुरक्षा बल आतंकवादियों का सक्रिय रूप से सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं।

******